

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

प्ररूप पांच
(नियम 9 देखिए)

कुरूद विकास योजना (प्रारूप) 2031 के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 61/वि. यो.-144/नग्रानि/20. — एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कुरूद निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रति सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय धमतरी, कलेक्टर-धमतरी, एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कुरूद के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 15-10-2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मंगल भवन, नगर पंचायत कुरूद में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं.

उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

- (क) भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.
- (ख) प्रारूप योजना के उपबन्धों को स्पष्टीकरण करने वाली मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.
- (ग) प्रारूप विकास योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पण जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राय की जाना है.

- (घ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चों तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वर्तित कार्यों के खर्चों का समुचित प्रावकलन उपदर्शित करने वाला टिप्पण.

हस्ता./-
(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
संचालक.

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING
Indravati Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar

Atal Nagar, the 14th October 2020

FORM V
(See Rule 9)

NOTICE OF PUBLICATION OF KURUD DEVELOPMENT PLAN (DRAFT) 2031

No./61 DP-144/T&CP/20.— Notice is hereby given that the draft of development plan for kurud Planning Area has been published in accordance with the provision of sub-section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the office of Assistant Director, Town & Country Planning, Regional Office Dhamtari, Collector-Dhamtari and Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat kurud during office hours. An exhibition is also organized Dated 15-10-2020 at 11:00 O' clock at Mangal Bhawan, Nagar Panchayat Kurud.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule below-

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to the above places before the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

- Existing land use map and narrative report.
- Narrative report explaining the provision of the draft development plan supported by maps and charts.
- Note indicating phasing of implementation of the draft plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.
- Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquisition for public purposes, and the cost of works involved in the implementation plan.

Sd/-
(Jitendra Kumar Shukla)
Director.